OBC की आय सीमा में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes- OBC) के क्रीमी लेयर के लिये **वार्षिक आय सीमा** ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख करने की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

- इसका प्राथमिक लक्ष्य हरियाणा में OBC समुदाय के कल्याण की रक्षा करना तथा **सरकारी नौकरियों में युवाओं को पर्याप्त लाभ प्रदान करना है।**
- मुख्यमंत्री ने कहा कि **ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के पदों** पर पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण कोटा, जो वर्तमान में 15% है, को केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप **बढ़ाकर 27%** किया जाएगा।

भारत में आरक्षण

- संविधान के अनुच्छेद 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने दिसंबर 1978 में बी.पी.मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की।
- आयोग का गठन **भारत के "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों"** को परिभाषित करने के मानदंड निर्धारित करने तथा उन वर्गों की उन्नति हेतु उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिये किया गया था।
- मंडल आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि भारत की जनसंख्या में लगभग 52 प्रतिशत OBC हैं, इसलिये **27 प्रतिशत सरकारी नौकरियाँ उनके लिये आरक्षित होनी चाहिये।**
- आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के **ग्यारह संकेतक** विकसित किये हैं।
- हिंदुओं में पिछड़े वर्गों की पहचान करने के अलावा, आयोग ने **गैर-हिंदुओं** (जैसे- मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध) **में** भी **पिछड़े वर्गों** की पहचान की है।
- इसने 3,743 जातियों की अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची तथा 2,108 जातियों की अधिक वंचित "दलित पिछड़ा वर्ग" सूची तैयार की है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/increase-in-income-limit-of-obc